



2026:AHC:49027

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या- 5320 सन् 2026

नूर जहाँ

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 11 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विकास श्रीवास्तव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 2001 की धारा 2001 के अन्तर्गत शुरू की गई कार्यवाही (मामला संख्या 14516 सन् 2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी 202514360614516) (विनोद सिंह बनाम राज्य) में प्रत्यर्था संख्या 3/ तहसीलदार (न्यायिक), तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर द्वारा पारित जाली आदेश दिनांकित 04.07.2025 वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने 30.10.2025 को प्रत्यर्था संख्या 3 के समक्ष पहले ही पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है। कुछ तर्कों के बाद याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को केवल इस आशय तक सीमित रखा कि प्रत्यर्था संख्या 3 को उपरोक्त पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 इस मामले का शीघ्रता से निपटारा करेगा।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, इस याचिका के निपटारा करते हुए प्रत्यर्था संख्या 3/ तहसीलदार (न्यायिक), तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त पुनर्स्थापना पत्र पर शीघ्रता से और अधिमानतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें, लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जब तक की

2

कोई कानूनी बाधा न हो।

11 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"